बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री काशी राम, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बड़हिया, के विरूद्व विभागीय जॉच दल द्वारा पाए किरासन तेल की अनियमितता में संलिप्तता, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की कमी, कर्तव्यहीनता एवं विभागीय निदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण विभागीय आदेश ज्ञापांक 790 दिनांक 04.02.2011 द्वारा निलंबन की कार्यवाही करते हुए ज्ञाप संख्या 1687 दिनांक 28.02. 2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया था। विभागीय कार्यवाही के अधिगम एवं विभागीय नियमों, निदेशों के आलोक में समीक्षोपरांत श्री राम के विरूद्व आरोप प्रमाणित पाए जाने के कारण निम्नलिखित दण्ड संसूचित करते हुए निलंबन से मुक्त करते हुए आरोप प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

क. तीन वेतन वृद्वि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड।

ख. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नही होगा परन्तु यह अवधि पेंशन प्रदायी मानी जाएगी।

ग. श्री राम को विभागीय मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान करने का निदेश दिया जाता है।

ह0/–
(सुरेश ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र08 गो0 आ0 लखीसराय 08/2011 3398 खाद्य, पटना दिनांक– 29/5/2012

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, लखीसराय/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय/ प्रशाखा पदा– 03/आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री काशी राम, निलंबित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बड़हिया, (निलंबन अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय, भागलपुर में मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:food Supply/direc sec-8